<u>उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल</u>

<u>नागरिक संशोधन संख्या 48/2021</u>

श्रीमती सुमित्रा देवी और एक अन्य ………………..

………………संशोधनवादी

बनाम

श्री दिनेश और अन्य ……………………………………

प्रत्यर्थी(गण)

उपस्थित :-

श्री सिद्धार्थ साह, संशोधनवादियों के अधिवक्ता

श्री तपन सिंह, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

<u>नागरिक संशोधन संख्या 49/2021</u>

श्रीमती सुमित्रा देवी और एक अन्य

………………………………संशोधनवादी

बनाम

श्री दिनेश और अन्य

……………………………प्रत्यर्थी(गण)

उपस्थित :-

श्री सिद्धार्थ साह, संशोधनवादियों के अधिवक्ता

श्री तपन सिंह, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

<u>निर्णय</u>

<u>माननीय नयायमुर्ति श्री रविन्द्र मैथानी, (मौखिक)</u>

चूंकि कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न इन दोनों संशोधनों में शामिल हैं, इसलिए वे इस सामान्य निर्णय द्वारा तय किए जा रहे हैं।

2. सिविल जज (सीनियर डिवीजन), काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर द्वारा मूल वाद संख्या 2015 के 86, श्रीमती सुमित्रा दैवी और एक अन्य बनाम दिनेश और अन्य (संक्षेप में, वाद) में पारित दिनांक 23.01.2021 के आदेश के विरुद्ध 2021 की नागरिक संशोधन संख्या 49 निर्देशित है। आक्षेपित आदेश द्वारा, विवादित भूमि की पहचान करने के लिए एक आयोग जारी किया गया था, और राजस्व अधिकारियों को आदेश में इंगित बिंदुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।इन बिंदुओं का उल्लेख आक्षेपित आदेश के पैरा 43 में किया गया है।

3. विवाद पर विचार करने के लिए आवश्यक तथ्य, संक्षेप में कहा गया है कि संशोधनवादियों ने इस आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया कि वे विवादित भूमि के मालिक हैं (प्लॉट नं. 55 एम नं. 55/2 क्षेत्र 0.404 हेक्टेयर , 55/2 क्षेत्र 0.405 हेक्टेयर और 55/2 क्षेत्र 0.405 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 1.214 हेक्टेयर है।) जो गाँव गंगापुर गोसाईं, तहसील काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर में स्थित है, लेकिन प्रतिवादी विवादित भूमि से संशोधनवादियों को जबरन बेदखल करना चाहते हैं और विवादित भूमि को हड़पना चाहते हैं।

4. वाद के एक चरण में, वाद में दिनांक 06.01.2016 को पारित एक आदेश द्वारा अस्थायी व्यादेश आवेदन की अनुमति दी गई थी, जिसे इस न्यायालय के समक्ष 2016 के आदेश संख्या 80 से अपील में चुनौती दी गई थी।अपील पर सुनवाई करते हुए, इस न्यायालय ने 01.03.2016 को कहा कि विवादित भूमि को कोर्ट अमीन के माध्यम द्वारा मापने की आवश्यकता है और कोर्ट अमीन को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।कोर्ट अमीन की रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष दाखिल नहीं की जा सकी, लेकिन 2016 के आदेश संख्या 80 से अपील 28.04.2016 को खारिज कर दी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने मुकदमा में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 मै े एक आवेदन दिया था, जिसे 02.08.2017 को अस्वीकार कर दिया गया था। इस आदेश को 2017 के सिविल संशोधन संख्या 107 में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

संशोधन 04.05.2018 को खारिज कर दिया गया था, लेकिन न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> "13. चूंकि विवाद वाद भूमि की पहचान के इर्द-गिर्द घूमता है, इसलिए यदि आवश्यकता हो तो, विचारण न्यायालय प्रश्नगत भूमि की पहचान के प्रयोजन के लिए राजस्व अधिकारियों की सहायता ले सकता है।इस विचारण न्यायालय ने आशा और अपेक्षाव्यक्त की कि विद्वान विचारण न्यायालय पक्षकारों को अनावश्यक स्थगन दिए बिना शीघ्र मुकदमा का निर्णय करेगा।

6. आक्षेपित आदेश आयोग द्वारा 2017 के सिविल संशोधन संख्या 107 में दिनांक 04.05.2018 को पारित आदेश के अनुसार जारी किया गया था।

7. अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर चुनौती दी गई है कि 2017 के सिविल संशोधन संख्या 107 में राजस्व अधिकारियों द्वारा नहीं बल्कि कोर्ट अमीन के द्वारा सर्वेक्षण कराने के लिए न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, न्यायालय ने निर्देश दिया था कि राजस्व अधिकारियों सहायता ली जा सकती है लेकिन पूरा कार्य राजस्व अधिकारियों को नहीं सौंपा जा सकता था।इसकी इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि अदालत इस तरह का आयोग जारी करते समय मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं कर सकती थी।

8. वाद में पारित दिनांक 25.03.2021 के आदेश के विरूद्ध 2021 का सिविल पुनरीक्षण संख्या 48 को प्राथमिकता दी गई है, जिसके द्वारा दिनांक 23.01.2021 के आदेश के अनुसरण में प्रस्तुत आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर अभिलेख का भाग बना दिया गया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, न्यायालय ने 23.01.2021 को आदेश दिया था कि एक आयोग को विभिन्न बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं।आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर संशोधनवादियों द्वारा आपत्तियां दायर की गई थीं, लेकिन 25 मार्च 2021 के आक्षेपित आदेश द्वारा रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया और अभिलेख का हिस्सा बना दिया गया।यह सिविल संशोधन संख्या 48/2021 में दर्ज है।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

11. संशोधनवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित बिंदुओं को उठाया हैः-

(I) इस न्यायालय ने ए. ओ. संख्या 80/2016 में निर्देश दिया था कि भूमि को कोर्ट अमीन के माध्यम द्वारा मापा जाए और यह नहीं किया गया।

(II) सिविल संशोधन संख्या 107/2017 में, इस अदालत ने देखा था कि "यदि आवश्यक हो तो विचारण न्यायालय प्रश्नगत भूमि की पहचान के उद्देश्य से राजस्व अधिकारियों की सहायता ले सकती है।"अदालत राजस्व अधिकारियों से सहायता ले सकती थी, लेकिन सर्वेक्षण का पूरा काम अकेले राजस्व अधिकारियों को नहीं सौंपा जा सकता था।

(III) विवाद भूमि की पहचान के संबंध में था, जिसके लिए निश्चित बिंदुओं का पता लगाए बिना सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता था। तत्काल मामले में, निश्चित बिंदु स्थापित नहीं किए गए हैं।

12. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी (गण) के विद्वान अधिवक्ता, जो प्रतिवाद के रूप में उपस्थित हुए, यह प्रस्तुत करेंगे कि इस मामले में आयोग सही रूप से जारी किया गया था।इस न्यायालय द्वारा 2016 की एओ संख्या 80 में दिनांक 01.03.2016 को पारित आदेश के अनुपालन में, आयोग कोर्ट अमीन को जारी किया गया था, लेकिन वह आयोग का संचालन नहीं कर सका और तदनुसार रिपोर्ट इस न्यायालय को अग्रेषित की गई थी (इस तथ्य का उल्लेख पैराग्राफ 6 में दिनांक 23.01.2021 के आक्षेपित आदेश में पाया जाता है) ।

13. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित मुद्दे भी उठाए हैं:-

(1) मुद्दा पक्षकारों के कब्जे वाली भूमि के मापन से संबंधित था, इसलिए, कार्य राजस्व अधिकारियों को दिया गया था और ऐसा करके, कोई अनियमितता नहीं की गई है।

(II) राजस्व प्राधिकारी, जो भूमि के मापन की प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हैं, ने भूमि को मापा है और रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो कानून के अनुसार है।

14. जहां तक इस न्यायालय के दिनांक 01.03.2016 को ए. ओ. संख्या 80/ 2016 में पारित निदेशों का संबंध है, यह अपना महत्व खो चुका है क्योंकि यह आदेश इस न्यायालय द्वारा उस समय पारित किया गया था जब आदेश के विरुद्ध अपील लंबित थी।अंततः कोर्ट अमीन अपनी रिपोर्ट और आक्षेपित पैरा 6 रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सका कि इस तथ्य को इस न्यायालय को 08.04.2016 को सूचित किया गया था।तथ्य यह है कि 2016 के आदेश संख्या 80 से अपील 28.04.2016 खारिज कर दी गई थी।इसलिए, आयोग को कौन जारी करेगा, यह ए.ओ. संख्या 80/ 2016 के दिनांक 01.03.2016 के आदेश के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

15. यह सच है कि 2017 के सिविल रिवीजन नंबर 107 में, कोर्ट ने रिवीजन को खारिज करते हुए इस बात पर चिंता जताई कि विवाद को कैसे सुलझाया जा सकता है और देखा कि चूंकि विवाद सूट की जमीन की पहचान के इर्द-गिर्द घूमता है, ट्रायल कोर्ट संबंधित भूमि की पहचान के लिए राजस्व अधिकारियों से सहायता की मांग कर सकता है।"सहायता" शब्द का अर्थ इस सीमा तक नहीं लगाया जा सकता कि राजस्व प्राधिकरणों को सीमित भूमिका दी जाए।न्यायालय का यह विवेकाधिकार था कि वह ऐसे व्यक्ति को आयोग जारी करे जो किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के से एक विशेष तरीके से सर्वेक्षण करने के कौशल से परिचित हो।

16. प्रत्यर्थी की ओर से, यह प्रस्तुत किया जा रहा है कि ऐसा सर्वेक्षण इस मामले में शामिल नहीं था.पक्षकारों के कब्जे वाली भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाना था।

17. यह तर्क इस साधारण कारण से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है कि यह किसी पक्षकार के कब्जे में भूमि को मापने का साधारण मामला नहीं था।मुद्दा पहचान का था।आयोग की रिपोर्ट 2021 की सिविल संशोधन संख्या 48 में संलग्नक 12 है।आयोग का निष्पादन विभिन्न राजस्व अधिकारियों/अधिकारियों द्वारा किया गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में बिंदु संख्या 6 से पता चलता है कि वास्तव में, भूमि को मानचित्र में अपनी स्थिति के

प्रकाश में मापा गया था और यह रिकॉर्ड करता है कि मानचित्र के अनुसार सड़क के मध्य से 0.70 कारी छोड़ने के पश्चात माप किया गया था।दिनांक 25.03.2021 के आक्षेपित आदेश द्वारा आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है।इस आक्षेपित आदेश के पैरा 11,12 और 13 में, न्यायालय ने इस बारे में विचार किया है कि माप कैसे किया जाना चाहिए था?सड़क के किस बिंदु से इसे मापा जाना चाहिए था?

18. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील आयोग की रिपोर्ट से यह नहीं दिखा सके कि सर्वेक्षण करने या विशिष्ट भूखंड को मापने से पहले किसी भी निश्चित बिंदु का पता लगाया गया था ।मुद्दा पहचान का है।यह किसी भी प्लॉट का सरल माप नहीं है।भूमि की पहचान नक्शे के अनुसार की जा सकती है और नक्शे के अनुसार विवादित भूमि की स्थिति स्थापित की जानी चाहिए।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस उद्देश्य के लिए निश्चित बिंदुओं को स्थापित किया जाना चाहिए ताकि किसी विशेष भूमि का पता लगाया जा सके।लेकिन इस मामले में आयोग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि ऐसा कोई प्रयास किया गया था, हालांकि कुछ माप दिए गए हैं।

19. बहस के दौरान, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सहमत हुए कि तत्काल मामले में आयोग इस निर्देश के साथ जारी किया जा सकता है कि निर्धारित बिंदुओं का पता लगाने के पश्चात विवादित भूमि का पता लगाया जा सकता है और मापा जा सकता है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि श्री सुधीर कुमार, जो इस उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, को इस मामले में आयोग के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जो सर्वेक्षण कर सकते हैं और विवादित भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं.श्री सुधीर कुमार अदालत में हैं। वह दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं ।

20. सर्वेक्षण करने के लिए वकील के नाम का सुझाव देकर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो कहा गया है, उसे थोड़ी देर में विज्ञापित किया जाएगा।

21. न्यायालय दो पुनरीक्षणों पर विचार कर रहा है जिनके द्वारा मुकदमा में पारित दो अलग-अलग आदेशों को चुनौती दी गई है।पहला दिनांक 23.01.2021 का आदेश है, जिसके द्वारा

आयोग को जारी किया गया था और दूसरा दिनांक 25.03.2021 का आदेश है, जिसके द्वारा आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है।

22. जहां तक आयोग के निर्गमन के संबंध हैं, इसमें कोई विशिष्टता नहीं मिलती है, हालांकि आयोग को विस्तृत निदेशों से बचाना चाहिए था।सरल मुद्दा केवल विवादित भूमि की पहचान करना है, न कि अन्य भूमि की।जिसके आगे निर्देश निश्चित रूप से क्षेत्राधिकार से परे हैं और वाद के निस्तारण के लिए आवश्यक नहीं हैं।

23. जहां तक 25.03.2021 के आक्षेपित आदेश का संबंध है, आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें कथित रूप से विवादित भूमि का सर्वेक्षण किया गया था, उसे मापा गया था और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। लेकिन रिपोर्ट में यह खुलासा नहीं किया गया है कि सर्वेक्षण करने से पहले आयोग द्वारा कोई निश्चित बिंदु स्थापित किया गया था।इस कारण आयोग की रिपोर्ट को तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए था।इसलिए, 25 मार्च, 2021 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और जैसा कि कहा गया है, 23 जनवरी, 2021 के आक्षेपित आदेश को संशोधित किया जाना चाहिए।

24. 25 मार्च 2021 के आदेश को रद्द कर दिया गया है।

25. विवादित भूमि की पहचान करने के लिए, आयोग श्री सुधीर कुमार, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के नाम पर जारी किया जाता है, जो मुकदमा में विवादित भूमि की पहचान करेंगे और संबंधित अदालत को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।राजस्व समेकन अधिकारियों/समेकन समेकन अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे सर्वेक्षण करने के लिए अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार की सहायता करें।

26. आक्षेपित आदेश दिनांक 23.01.2021 तदनुसार संशोधित किया जाता है।

27. जब पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता से आयुक्त श्री सुधीर कुमार के पारिश्रमिक के बारे में पूछा गया तो अधिवक्ता एक बयान देता है कि वह आयोग के संचालन के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।

28. आयोग के संचालन के लिए अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार के सभी यात्रा संबंधी और अन्य खर्चों को संशोधनवादी वहन करेंगे।

29. दोनों संशोधनों का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

(रविन्द्र मैथानी, न्या.)
02.09.2021